रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003—22 REGISTERED No.—DL—(N) 04/0007/2003—22

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19032022-234299
CG-DL-W-19032022-234299

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 19—मार्च 25, 2022 (फाल्गुन 28, 1943)
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 19—MARCH 25, 2022 (PHALGUNA 28, 1943)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]
[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2022

सं. ए-12011/1/2021-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) तथा उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों तथा धारा 17 की उप-धारा (2) और (3) का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भारतीय चिकित्सा पद्धति में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पद) भर्ती विनियम, 2008 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)(आयुर्वेद) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड)(आयुर्वेद), भर्ती विनियम, 2022 कहे जाएंगे।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोज्य – ये विनियम इनके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

6. शिथिल करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

7. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरुप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) (आयुर्वेद)	51*(2022) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन। आयुर्वेद संवर्ग अर्थात् मुख्य चिकित्सा अधिकारी (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड) (आयुर्वेद), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अप्रकार्यामक चयन ग्रेड) (आयुर्वेद), मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद), वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) और चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) में पदों की कुल संख्या 51 है तथा इन पदों को पूर्वोक्त कुल सम्मिलित संस्वीकृत कार्मिक संख्या के भीतर प्रचालित किया जाना है।	समूह 'क', गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-14 (144200-218200 रुपये) और केंद्रीय सरकार के समय-समय पर संशोधित आदेशों के अनुसार स्वीकार्य प्रैक्टिसबंदी भत्ता।	चयन	लागू नहीं

सीधी भर्ती होने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वालों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	रिक्ति को संबद्ध किए बिना चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	पदोन्नति : मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अप्रकार्यामक

				चयन ग्रेड) (आयुर्वेद) लेवल-13 में वेतन मैट्रिक्स (रु.123100-215900) ग्रेड में सात* वर्ष की नियमित सेवा सहित। *टिप्पणी 1 : चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा/ या उच्चतर अध्ययन से इतर प्रदान की गई असाधारण छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा में शामिल नहीं किया जाएगा।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) में सम्मिलित होंगे :- (1) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार —अध्यक्ष; (2) विशेष सचिव/ अतिरिक्त सचिव/ संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार —सदस्य; (3) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य।	लागू नहीं

मुखमीत सिंह भाटिया
महानिदेशक

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)

New Delhi, the 11th March 2022

No. A-12011/1/2021-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) and (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Senior Administrative Grade posts in ISM) Recruitment Regulations, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade)(Ayurveda) in Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade)(Ayurveda), Recruitment Regulations, 2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These regulations shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these regulations.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

6. Power to relax. - Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. Savings. - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade) (Ayurveda)	51*(2022) *Subject to variation dependent on workload. The total number of posts in the Ayurveda Cadre i.e. Chief Medical Officer (Senior Administrative Grade (Ayurveda), Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade)(Ayurveda), Chief	Group 'A', Non-Ministerial.	Level 14 (Rs.144200-218200) in the pay matrix plus Non-Practicing Allowance admissible as per Central Government Orders Amended from time to time.	Selection.	Not applicable.

	Medical Officer (Ayurveda), Senior Medical Officer (Ayurveda) and Medical Officer (Ayurveda) are 51 and these posts are to be operated within the aforesaid total combined sanctioned strength.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion on selection basis without linkage to the vacancy.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) (Ayurveda) in level 13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix with seven* years of regular service in the grade. *Note 1: Period of extra ordinary leave granted for other than on medical certificate and/or for higher studies, shall be excluded from the qualifying service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of: 1. Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India – Chairman; 2. Special Secretary/Additional Secretary/Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment, Government of India – Member; 3. Director General, Employees' State Insurance Corporation – Member.	Not applicable.

MUKHMEET SINGH BHATIA
Director General

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

JAGANATHAN ANANTHA KUMAR